महामारी-विरोधी उपायों के तहत बीमारी भत्ता और रोजगार की सुरक्षा

रोजगार (संशोधन) अध्यादेश 2022 17 जून 2022 से लागू हो चुका है
मुख्य संशोधनों में शामिल हैं:

- रोजगार अध्यादेश (EO) के अंतर्गत एक बीमारी के दिन में वह दिन शामिल होता है जिस दिन एक कर्मचारी उसकी एक निश्चित आवश्यकता के अनुपालन के कारण काम से गैरहाज़िर रहता है जो बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण अध्यादेश (नियम. 599) के तहत सक्रियता पर प्रतिबंध लगाती है (जैसे कि, एक आइसोलेशन ऑर्डर, एक क्वारंटीन ऑर्डर या एक "प्रतिबंध-परीक्षण घोषणा" द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, जबकि इसमें हांगकांग आने वाले व्यक्तियों पर लगाया गया प्रतिबंध शामिल नहीं है।)

    - सबूत की आवश्यकता: दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध या सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा, कर्मचारी का नाम या ऐसी जानकारी जो कर्मचारी की पहचान की पुष्टि कर सकती है; पूर्व उल्लिखित प्रतिबंध का प्रकार और इस तरह के प्रतिबंधों की शुरुआत और समाप्ति की तारीखें।

    - नियोक्ताओं को योग्य कर्मचारियों को बीमारी भत्ता देना आवश्यक है।*
      (*एक निरंतर अनुबंध के अंतर्गत नियोजित, बीमारी के लिए ली गई छुट्टी लगातार 4 दिनों से कम न हो, पर्याप्त संख्या में इकठ्ठी भुगतान की गई बीमारी के दिनों में बीमारी की छुट्टियां और यह बीमारी की छुट्टियां आवश्यक प्रमाण के द्वारा समर्थित है।)

- EO के तहत उपरोक्त प्रतिबंध के कारण किसी कर्मचारी के काम से गैरहाज़िर रहने के कारण बर्खास्तगी को अनुचित बर्खास्तगी माना जाता है।

- जब कोई नियोक्ता लिखित रूप में COVID-19 टीकाकरण का निवेदन करता है तो, एक कर्मचारी, जिसे निवेदन से छूट नहीं दी जाती, उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि वह निवेदन करने की तारीख से 56 दिनों के भीतर COVID-19 टीकाकरण प्राप्ति का सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहा है, EO के तहत उस बर्खास्गी को अनुचित बर्खास्तगी नहीं माना जाता है। जब महामारी नियंत्रण में होगी और जब टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय नहीं रह गया होगा तो प्रासंगिक प्रावधान निरस्त कर दिए जायेंगे।

विवरण के लिए, कृपया श्रमिक विभाग की वेबसाइट देखें www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2022.htm.

टीकाकरण की आवश्यकताएं और छूट की व्यवस्था नीचे प्रदान की गई हैं:

"वैक्सीन पास" के संधर्भ में स्थितियाँ	टीकाकरण की आवश्यकतायें	कर्मचारियों को टीकाकरण का सबूत प्रस्तुत करने से छूट दी गई है
वह परिसर जहाँ क़ानून के अनुसार "वैक्सीन पास" लागू किया गया है। कार्य का स्थान "वैक्सीन पास" के तहत निर्धारित परिसर के भीतर है। जैसे कि, कैटरिंग कारोबार परिसर, फिटनेस सेंटर, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले कर्मचारी, आदि।	कर्मचारियों को "वैक्सीन पास" टीकाकरण की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और टीकाकरण का सबूत देना चाहिए	✓ मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए जिनके पास एक मान्य COVID-19 टीकाकरण चिकित्सा छूट का प्रमाणपत्र (छूट का प्रमाणपत्र) हैं
अन्य परिसर जहाँ "वैक्सीन पास" लागू हैं कर्मचारी जो एक विशेष प्रकार का काम करते हैं जहाँ सरकार एक आवश्यकता लागू करती है या टीकाकरण प्राप्त करने की सिफारिश करती है। जैसे कि, बुजुर्गों की देखरेख के घर और सार्वजनिक अस्पतालों, आदि में काम करने वाले कर्मचारी।	कर्मचारियों को सरकार द्वारा की गई प्रासंगिक टीकाकरण आवश्यकताओं या सिफारिशों का पालन करना चाहिए और टीकाकरण का सबूत प्रस्तुत करना चाहिए	
वह परिसर जहाँ "वैक्सीन पास" लागू नहीं हैं जैसे कि, व्यावसायिक इमारतों में सामान्य कार्यालय के कर्मचारी	कर्मचारी टीके की कम से कम एक खुराक का सबूत प्रस्तुत करें	✓ एक मान्य छूट का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी। ✓ कर्मचारी जो गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं। ✓ जिन कर्मचारियों को अनुबंधित होने की तारीख से 6 महीनों के भीतर COVID-19 होने का पता चला है।

*बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण (वैक्सीन पास) अधिनियम (नियम 599L) के अनुसार जारी किया गया वैक्सीन पास निर्देश

[नोट: यह सूचना पत्र सरल शब्दों में EO में किये गए प्रमुख संशोधनों को निर्धारित करता है। व्याख्या किये गए क़ानून के प्रावधानों के लिए EO एकमात्र प्राधिकरण है।]

勞 工 處
Labour Department

पूछताछ हॉटलाइन: 2717 1771
(हॉटलाइन "1823" द्वारा हैंडल किया जाता है)

श्रमिक विभाग वेबसाइट:
www.labour.gov.hk